कार्यालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक

(श्री दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या – 386/2023 निर्णय दिनांक :–22.03.2024

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

1. कालू पुत्र भुवाना जाति कीर उम्र बालिग निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
2. गोपी पुत्र भुवाना जाति कीर उम्र बालिग निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
3. प्रहलाद पुत्र भुवाना जाति कीर उम्र बालिग निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
4. सत्यनारायण पुत्र भुवाना जाति कीर उम्र बालिग निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
5. हीरा पुत्र भुवाना जाति कीर उम्र बालिग निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. रमेशचंद पुत्र पोखरलाल जाति जाट उम्र बालिग निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
2. रामकिशन चौधरी पुत्र नन्दराम जाति जाट उम्र बालिग निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
3. शिवजीलाल चौधरी पुत्र रामरतन जाट जाति जाट निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)

–अप्रार्थीगण–

उपस्थितः–

श्री राजेश कुमार धाकड़
अधिवक्ता प्रार्थीगण

श्री आलोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 128 राज0 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट बाबत पत्थरगढी किये जाने

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जे–काश्त की आराजीयात खाता संख्या 285 में वर्णित खसरा नम्बर 6147/2603 रकबा 0.18 है0, एवं खसरा नम्बर 6148/2606 रकबा 0.18है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.36 है0 जो वाके तनग्राम दूनी पटवार हल्का

ूनी तहसील दूनी जिला–टोंक में स्थित हैं। उक्त आराजीयात प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है। जिस पर प्रार्थीगण अपने पूर्वजो के समय से ही सम्पूर्ण भूमि पर लगातार निर्बाध रूप से काबिज काश्त हैं। प्रार्थीगण की उपरोक्त वर्णित भूमि के अडवा उत्तरी–पूर्वी दिशा में अप्रार्थीगण नं. 1 ता 3 भूमि खसरा नम्बर 6637/2604 रकबा 0.17 है0 किस्म आवासीय तनग्राम दूनी में स्थित है। प्रार्थीगण के द्वारा विधिवत् रूप से अप्रार्थी नं. 4 के यहां आवेदन पेश कर अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवाया था तथा सीमाचिन्ह अंकित करवाया था तथा उसी समय प्रार्थीगण ने अपनी उक्त भूमि एवं अप्रार्थी नं. 1 ता 3 की भूमि के मध्य काफी पैसा खर्च करके अपनी हद के अंदर ही मिट्टी का डोल (मेड) लगवाई है। अप्रार्थीगण नं. 1 ता 3 भू माफिया प्रवृति के व्यक्ति है जो वर्तमान में अपनी उक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 2 प्रहलाद गोपी कालू हो 6637/2604 किस्म आवासीय में आवासीय प्रयोजनार्थ प्लानिंग कर एवं अन्य लोगो को बेचान कर प्रार्थीगण के द्वारा बनाई गई मिट्टी का डोल (मेड) को तोड़कर सीमाचिन्ह को मिटा कर जबरन प्रार्थीगण की भूमि को अपनी भूमि में मिलाने पर आमादा हैं तथा सीमा ज्ञान के चिन्हों को धीरे–धीरे मिटाकर अपनी भूमि में मिलाना चाह रहे हैं। प्रार्थीगण के द्वारा पूर्व में भी अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवाया था तथा सीमाचिन्ह अंकित करवाये थे। जिनको अप्रार्थीगण नं. 1 ता 3 द्वारा नष्ट करने पर आमादा है। इस कारण से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं ताकि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की भूमि को अपनी भूमि नहीं मिला सके और मौके पर किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न ना हो। हाल ही में अप्रार्थीगण के द्वारा मौके पर जेसीबी ले जाकर मौके पर लगी हुई मिट्टी का डोल (मेड) को तोड़कर सीमाचिन्हो को नष्ट कर अपनी भूमि में मिलाने का प्रयास किया है। इसलिए प्रार्थीगण की भूमि की पत्थरगढ़ी की जाती हैं तो आने वाले समय में जब फसल काश्त होगी तो कोई विवाद पैदा नहीं होगा और प्रार्थीगण मुकदमाबाजी से बच जायेगे। अप्रार्थी नं. 4 तहसीलदार तहसील दूनी जिला–टोंक लेण्ड हॉल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया हैं। इसलिए अप्रार्थी को उक्त वर्णित भूमि की पत्थरगढ़ी कराने के आदेश न्यायहित्त में प्रदान करे। प्रार्थीगण की कृषि भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई का अधिकार श्रीमान् को प्राप्त हैं तथा प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस व अंदर मियाद पेश किया जा रहा हैं। प्रार्थीगण अपनी उक्त भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने के लिए नियमानुसार शुल्क जमा कराने को तैयार हैं। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन हैं कि आराजीयात प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जे–काश्त की आराजीयात

खाता संख्या 285 में वर्णित खसरा नम्बर 6147/2603 रकबा 0.18 है0, एवं खसरा नम्बर 6148/2606 रकबा 0.18 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.36 है0 जो वाके तनग्राम दूनी पटवार हल्का दूनी तहसील दूनी जिला–टोंक में स्थित हैं, की पत्थरगढी किये जाने के आदेश श्रीमान् तहसीलदार दूनी को दिये जाकर अप्रार्थीगण नं. 1 ता 3 व अन्य पड़ौसी खातेदारो की मौजूदगी में पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करवाई जावे।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की ओर से अधिवक्ता आलोक कुमार शर्मा ने वकालतनामा व जवाब पेश किया जो इस प्रकार हैः– प्रार्थना पत्र का पेरा नम्बर 1 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का पेरा नम्बर 2 जानकारी के अभाव में स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र का पेरा नम्बर 3 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का पेरा नम्बर 4 में प्रार्थीगण द्वारा भूमि का सीमा ज्ञान कराया जाना एवं डोल लगवाया जाना स्वीकार है एवं अप्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 6637/2604 किस्म आवासीय मे प्लानिंग करना स्वीकार है। शेष इबारत जिस तरह से वर्णित की गई है गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि का सीमा ज्ञान कराकर डोल लगा रखा है जो आज भी मौजूद है। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का प्रार्थीगण की भूमि का डोल नहीं तोडा गया है और ना ही सीमा चिन्ह को मिटाकर जमीन पर कब्जा करने की मंशा रखी है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा जब अपनी भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ के लिये परिवर्तित करायी गयी उसी समय राजस्व कर्मचारियो द्वारा सीमा ज्ञान कर चिन्ह अंकित कर दिये गये थे जिस पर ही अप्रार्थीगण काबिज है। प्रार्थना पत्र का पेरा नम्बर 5 गलत है, स्वीकार नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी प्रकार से प्रार्थीगण के मेड पर बने हुये रोड़ को नहीं तोड़ा है और ना ही सीमा चिन्ह को नष्ट किया है। आज भी मौके पर डोल लगा हुआ है। प्रार्थना पत्र का पैरा नम्बर 6 गलत है, स्वीकार नही है। पाथरगढ़ी के प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 4 तहसीलदार जी दूनी आवश्यक पक्षकार है जिनकी तामील होना एवं रिपोर्ट आना आवश्यक है। तहसीलदार जी द्वारा ही रिपोर्ट पेश की जाती है कि उक्त खसरा मुम्बर में कोई विवाद तो नही है, किसी प्रकार का स्थगन तो नहीं है। जिस खसरा नम्बर की प्रार्थीगण पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है उस खसरा नम्बर पर प्रार्थीगण का कब्जा है या नहीं है इन बिन्दुओं पर तहसीलदार जी की रिपोर्ट आने के पश्चात ही माननीय न्यायालय अग्रिम कार्यवाही कर पाता है। ऐसी कोई रिपोर्ट पत्रावली में शामिल नहीं है। प्रार्थना पत्र का पैरा नम्बर 7, 8 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नहीं

है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार जी महोदय की रिपोर्ट आने के पश्चात ही अग्रिम आदेश पारित किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रा. पत्र के तथ्यो को ही दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने के साथ ही मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 को जरिये स्थगन पाबन्द करने की प्रार्थना की।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने जवाब के तथ्यो को दोहराते हुए तहसीलदार से रिपोर्ट मंगवाकर, रिपोर्ट अनुसार निर्णय करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। जमाबन्दी सम्वत 2074–77 भूमि खाता संख्या 285 खसरा नम्बर 6147/2603 रकबा 0.18 है0, खसरा नम्बर 6148/2606 रकबा 0.18 है0, वाके ग्राम दूनी तहसील दूनी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है तथा पत्रावली पर प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार दूनी द्वारा करवाये गये सीमाज्ञान का भू. अभि. निरीक्षक का मौका पर्चा सीमाज्ञान शामिल पत्रावली है। अतः प्रार्थीगण द्वारा 128 एल. आर. एक्ट की आवश्यक शर्तो की पालना करने के कारण तहसीलदार दूनी की मौका रिपोर्ट की आवश्यकता प्रतीत नहीं होकर, प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

तहसीलदार दूनी को आदेशित किया जाता है कि जमाबन्दी सम्वत 2074–77 भूमि खाता संख्या 285 खसरा नम्बर 6147/2603 रकबा 0.18 है0, खसरा नम्बर 6148/2606 रकबा 0.18 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.36 है0 वाके ग्राम दूनी तहसील दूनी आराजी की पत्थगगढी मुताबिक सीमाज्ञान मौका पर्चा दिनांक 01.06.2020 के अनुसार, नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा कर, विधिवत् पत्थरगढी, प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर कब्जा होने पर तथा प्रार्थीगण व अन्य गवाहान की उपस्थिति में की जावे अन्यथा उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर प्रार्थीगण को अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 22.03.2024 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली